बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक—01 / लेखा०—1336 / 2026— / पटना, दिनांक— जुलाई, 2026

प्रेषक,

प्रीति सिन्हा
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः— विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन से संबंधित विज्ञापन सामग्री संलग्न किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि राज्य में प्रकाशित होनेवाले सभी हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों (उत्तर बिहार के जिला संस्करण सहित) में दिनांक—01.08.2026 (शनिवार) एवं 02.08.2026 (रविवार) को प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह० / —
विशेष कार्य पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग।

ज्ञापांक— 1500 पटना, दिनांक— 31 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि— आई0टी0 मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को IPRD (Information & Public Relation Department, Govt of Bihar) के E-Advertisement पोर्टल पर विज्ञापन अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/26
विशेष कार्य पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग।

प्रतिलिपि— आई0टी0 मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग
रूचि की अभिव्यक्ति हेतु सूचना (अल्पकालीन निविदा)

गन्ना उद्योग विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/कल्याणकारी योजनाओं एवं अभियान विशेष के प्रचार–प्रसार हेतु जी०पी०एस० एवं आवश्यक संसाधनयुक्त पिक अप वैन द्वारा ऑडियो विडियो प्रचार वाहन के माध्यम से विहित शर्तों/अर्हता के अनुरूप वाहन के दर निर्धारण तथा उपर्युक्त एजेंसियों को सूचीबद्ध करने हेतु इच्छुक प्रतिष्ठान/एजेंसी से **दिनांक–10.08.2026 के अपराह्न 03:00 बजे** तक ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबंद लिफाफा में आमंत्रित की जाती है। प्री–बिड की बैठक **दिनांक–07.08.2026 को 12.00 बजे मध्याह्न में** ईखायुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में आयोजित होगी, जिसमें इच्छुक निविदादाता भाग ले सकते हैं। तकनीकी निविदा **दिनांक–10.08.2026 को 04.00 बजे अपराह्न में** विभागीय निविदा समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं का वित्तीय निविदा उसी दिन **05.00 बजे पूर्वाह्न में** विभागीय निविदा समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से सफल निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। निविदा की विस्तृत शर्तें विभागीय वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/sugarcane पर देखी जा सकती हैं।

31/07/26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

पृष्ठभूमि

राज्य सरकार के सात निश्चय–3 "समृद्ध उद्योग– सशक्त बिहार" अंतर्गत राज्य में नई चीनी मिल की स्थापना तथा बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरूद्धार हेतु राज्य में गन्ना का क्षेत्रफल बढ़ाना एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। क्षेत्रफल बढ़ाने के उद्देश्य से गन्ना उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ, जैसे **मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत बीज विकास योजना, गन्ना क्षेत्र विस्तार योजना, गन्ना यंत्रीकरण योजना, गन्ना नर्सरी योजना, बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम** संचालित की जा रही है। इन विभागीय योजनाओं तथा अन्य गतिविधियों की जानकारी किसानों एवं लक्षित हितधारकों तक प्रभावी, व्यापक एवं समयबद्ध रूप से पहुँचाना अतिआवश्यक है।

इस परिप्रेक्ष्य में, **ऑडियो वीडियो एवं एलईडी स्क्रीन** से युक्त प्रचार वाहनों के माध्यम से योजनाओं, कार्यक्रमों एवं विशेष अभियानों का सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना प्रस्तावित है। इन प्रचार वाहनों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर योजनाओं की **प्रमुख विशेषताओं, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, उपलब्ध लाभ** तथा अन्य आवश्यक जानकारियों का सरल एवं प्रभावी प्रसार सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे किसानों में विभागीय योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, अधिकाधिक पात्र कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित होगी तथा योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन में सहायता प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त, **जीपीएस, कैमरा** एवं **लाइव ट्रैकिंग** जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रचार वाहनों के संचालन, निर्धारित मार्गों एवं प्रचार गतिविधियों की नियमित निगरानी एवं सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रचार स्थलों पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर गतिविधियों की प्रभावशीलता का आकलन कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे।

इस प्रकार, प्रस्तावित प्रचार व्यवस्था से विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रसार, पारदर्शी क्रियान्वयन एवं किसानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी, जिससे गन्ना क्षेत्र के समग्र विकास एवं उद्योग की सुदृढ़ता में उल्लेखनीय योगदान प्राप्त होगा।

सूचीबद्ध एजेंसी के कार्य एवं दायित्व

i. विभाग द्वारा निर्धारित योजनाओं, कार्यक्रमों एवं विशेष अभियानों के प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक संख्या में पूर्णतः सुसज्जित ऑडियो–वीडियो प्रचार वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
ii. विभाग द्वारा निर्धारित स्थान, मार्ग, तिथि एवं समय–सारणी के अनुसार प्रचार वाहनों का संचालन करना।
iii. प्रत्येक प्रचार वाहन में जीपीएस, कैमरा, एलईडी स्क्रीन, ध्वनि प्रणाली, इंटरनेट सुविधा, विद्युत बैकअप एवं अन्य निर्धारित उपकरणों की कार्यशील व्यवस्था सुनिश्चित करना।
iv. विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अथवा अनुमोदित ऑडियो–वीडियो सामग्री, संदेश एवं प्रचार सामग्री का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदर्शन एवं प्रसारण करना।
v. प्रत्येक प्रचार वाहन के साथ आवश्यक तकनीकी एवं परिचालन सहयोग हेतु प्रशिक्षित तकनीशियन तथा वैध अनुज्ञप्ति धारित चालक की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

vi. प्रचार वाहनों का नियमित संचालन, रख–रखाव एवं सभी उपकरणों की सुचारु कार्यशीलता सुनिश्चित करना तथा किसी तकनीकी खराबी की स्थिति में तत्काल आवश्यक सुधार अथवा वैकल्पिक व्यवस्था करना।

vii. वाहनों की जीपीएस आधारित लाइव ट्रैकिंग एवं निगरानी हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर, डैशबोर्ड तथा तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध कराना एवं विभाग को आवश्यक अभिगम/प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।

viii. प्रचार गतिविधियों के दौरान प्रचार स्थल, प्रदर्शित सामग्री एवं उपस्थित दर्शकों को प्रदर्शित करने वाली फोटो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग करना तथा विभाग को उपलब्ध कराना।

ix. विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं अवधि के अनुसार वाहन संचालन, प्रचार गतिविधियों, भ्रमण विवरण, जीपीएस रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

x. विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के साथ समन्वय स्थापित कर प्रचार कार्य का प्रभावी, समयबद्ध एवं सुचारु निष्पादन सुनिश्चित करना।

प्रचार वाहन हेतु इच्छुक एजेंसी के Empanelment हेतु शर्तें

(क) प्रचार वाहन निम्नलिखित विशिष्टियों एवं उपकरणों के साथ सुविधायुक्त रहेगीः–

1. जी०पी०एस० युक्त पिकअप भान सर्विलेंस कैमरा एवं निर्बाध इंटरनेट के साथ।
2. एल०ई०डी० स्क्रीन का साईज पिकअप भान में 6ft x 4ft एवं रंगीन फार्मेट में प्रसारण योग्य होना चाहिए।
3. एल०ई०डी० स्क्रीन का स्पेसिफिकेशन आउटडोर P-6 अथवा उससे कम।
4. एल०ई०डी० स्क्रीन दिन एवं रात दोनों में दिखाई देने लायक होना चाहिए।
5. चलन्त वाहन पर स्पष्ट आवाज हेतु लगभग 100Wt. का साउण्ड सिस्टम (एम्प्लीफायर–01, सी०डी० प्लेयर–01, कॉर्डलेश माईक–02 सहित)।
6. पावर बैक–अप हेतु 2–3 के०वी०ए० का ध्वनि रहित जनरेटर।
7. प्रचार–प्रसार/अभियान विशेष हेतु वाहन का तीन तरफ से तदनुरूप फैब्रिकेशन (विनाईल स्टीकर, आयरन फ्रेमयुक्त फ्लैक्स, गाड़ी का फ्लोर कारपेट सहित)।
8. समय–समय पर वाहनों की ब्रांडिंग एवं फ्लैक्स बदलना होगा, जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा तथा डिलीवरी के समय वाहन की ब्रांडिंग, फ्लैक्स एवं पूरा उपकरण/सेट–अप कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।
9. उपर्युक्त उपकरण के संचालन/संधारण हेतु एक टेक्नीशियन प्रति वाहन।

(ख) निविदादाता को अपनी तकनीकी निविदा में निम्नांकित कागजात संलग्न करने होंगेः–

1. निविदादाता एजेंसी के पास कम–से–कम 95 वाहन उपलब्ध कराने की क्षमता होना अनिवार्य है। वाहन का स्वामित्व स्वयं का अथवा भाड़े पर अगले एक वर्ष के लिए वाहन स्वामी से अनुबंधित होना अनिवार्य होगा। एजेंसी को तकनीकी निविदा के साथ वाहन स्वामी/वाहन स्वामी से अनुबंध एवं इसके उपलब्ध होने का साक्ष्य संलग्न करना होगा। वाहन के स्वामित्व अथवा वाहन स्वामी से अनुबंध की जाँच विभाग द्वारा कभी भी की जा सकती है।
2. तकनीकी निविदा के साथ वाहनों का निबंधन संख्या देना अनिवार्य है। वाहनों का भौतिक सत्यापन विभाग के द्वारा निर्धारित तिथि को कराना आवश्यक होगा अन्यथा एजेंसी को पैनल से हटाते हुए उसे काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
3. निविदादाता प्रतिष्ठान/एजेंसी का निबंधन एवं कार्यालय के पता का प्रमाण पत्र तथा कार्यादेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर एजेंसी के कार्यालय का पटना, बिहार में स्थापित किये जाने संबंधी घोषणा पत्र।
4. निविदादाता प्रतिष्ठान/एजेंसी का जी.एस.टी. निबंधन अथवा जी.एस.टी. नम्बर संबंधी प्रमाण पत्र।
5. वाहनों का अधतन फिटनेस प्रमाण पत्र मोटर यान निरीक्षक द्वारा निर्गत हो तथा एक वर्श का कार्य अनुभव होना चाहिए।

6. निविदादाता को शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उनके फर्म के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, तथा किसी भी विभाग संस्था के अंतर्गत काली सूची में दर्ज नहीं है।
7. निविदादाता प्रतिष्ठान/एजेंसी का पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
8. विगत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न एवं ऑडिटेड बैलेंस शीट की प्रति।
9. निविदादाता का विगत तीन वर्षों में सकल टर्न ओवर 01 (एक) करोड़ रुपये होना चाहिए।
10. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए।
11. अग्रधन की राशि के रूप में मो० 2,00,000/– (दो लाख) रूपये का राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक का बैंक ड्राफ्ट, जो विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से पटना में भुगतेय हो, अवश्य संलग्न करना होगा। सूचीबद्धता के पश्चात् संबंधित एजेंसी को अग्रधन की राशि को Performance Security के रूप में जमा करा लिया जायेगा। जिसकी वापसी एकरारनामे की अवधि समाप्त होने के 02 माह बाद की जायेगी।

(ग) वित्तीय निविदाः– निविदादाता को अपनी वित्तीय निविदा में पूर्ण फैब्रिकेटेड एवं वांछित उपकरणों तथा सुविधाओं से युक्त पिक अप वैन का प्रतिदिन का दर अलग–अलग अंकित करना होगा।

1. वित्तीय निविदा में वाहन चालक, टेक्नीशियन, टॉल शुल्क, पार्किंग शुल्क, चालक एवं टेक्नीशियन का भोजन, अल्पाहार आदि के साथ पूर्ण फैब्रिकेटेड एवं वांछित उपकरणों तथा सुविधाओं से युक्त प्रचार वाहन का प्रतिदिन का समेकित दर अंकित करना होगा। इसके अतिरिक्त उक्त प्रचार वाहन के संचालन के लिए ईंधन व्यय हेतु प्रति कि०मी० दर अलग से अंकित करना होगा। सभी उपकरणों एवं सुविधाओं से युक्त पूर्ण फैब्रिकेटेड प्रचार वाहन का प्रतिदिन भाड़े का दर एवं ईंधन व्यय हेतु प्रति कि०मी० प्राप्त दर के आधार पर वाहन एवं ईंधन के लिए अलग–अलग न्यूनतम दर का निर्धारण किया जायेगा।
2. निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर कार्य करने हेतु इच्छुक सभी एजयेंसियों को सूचीबद्ध किया जायेगा। सूचीबद्धता का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उन्हें अनिवार्य रूप से सभी कार्यक्रम/अभियान में भागीदारी मिले। कार्य के आवंटन में L1 दर देने वाले एजेंसी/फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। कार्य के आवंटन का अधिकार गन्ना उद्योग विभाग में निहित होगा।

(घ) अन्यान्य

1. आमंत्रित निविदा के आधार पर एजेंसी को दो वर्षों के लिए चयनित/सूचीबद्ध किया जायेगा एवं संतोषप्रद कार्यकलाप के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए दोनों पक्षो की सहमति से अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

2. विभाग द्वारा चयनित प्रतिष्ठान/एजेंसी को सूचना दिये जाने की तिथि से 15 दिनों के अंदर यथा आदेश निर्धारित स्थान (मुख्यालय, जिला एवं अन्य कार्यालय) पर निर्धारित संख्या में आवश्यक संसाधनयुक्त फैब्रिकेटेड गाड़ी उपलब्ध उपलब्ध कराना होगा।
3. कार्यक्रम विशेष/अभियान विशेष हेतु प्रतिदिन अथवा प्रतिमाह के दर पर चयनित एजेंसी/प्रतिष्ठान को निर्धारित संख्या में गाड़ी उपलब्ध कराना होगा।
4. बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति से तकनीकी निविदा में वर्णित निबंधन संख्या से अलग वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि यदि वह चाहे तो एजेंसी का कार्यादेश रद्द करते हुए उसे काली सूची में दर्ज कर सकेगा।
5. आवश्यकतानुसार वाहनों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है जिसका भुगतान निर्धारित दर पर समानुपातिक रूप से किया जाएगा।
6. वाहन से संबंधित सभी कर एवं बीमा आदि का भुगतान करने की जिम्मेवारी संबंधित प्रतिष्ठान/एजेंसी की होगी। साथ ही वाहन चालक को वाहन परिचालन का अनुज्ञप्ति रखना अनिवार्य होगा।
7. मानव बल के तैनाती एवं भुगतान में एजेंसी को श्रम संबंधी सरकारी नियमों का पालन करना होगा।
8. विभाग अथवा विभाग की सूचीबद्ध एजेंसी के द्वारा सरकारी योजना/कार्यक्रम, विशेष अभियान, विशेष कार्यक्रम हेतु उक्त वाहन का उपयोग सुदूर क्षेत्रों में ऑडियो–वीडियों के साथ प्रचार–प्रसार कार्य हेतु उपयोग किया जायेगा।
9. प्रचार वाहन के परिचालन एवं प्रचार कार्य हेतु विभाग द्वारा अग्रिम रूप में कार्यक्रम, स्थल का चयन एवं प्रचार कार्य का समय निर्धारित किया जायेगा जिसके अनुसार गाड़ी का परिचालन एवं वाहन से प्रचार–प्रसार कार्य कराने की जिम्मेवारी संबंधित प्रतिष्ठान/एजेंसी की होगी।
10. प्रत्येक वाहन में जी०पी०एस० सिस्टम के अतिरिक्त कैमरा संस्थापित करना अनिवार्य होगा तथा रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करनी होगी। रिकॉर्डिंग इस प्रकार से कराई जाएगी कि इसमें प्रचार स्थल तथा दर्शकों की पहचान स्थापित हो सके। प्रचार कार्य के समय की रिकॉर्डिंग की सी०डी० कार्यालय में जमा करनी होगी।
11. प्रचार के दौरान एजेंसी को विहित प्रपत्र में दर्शकों से फीडबैक फार्म भरवाकर दस्तावेज के रूप में समर्पित करना होगा।
12. चयनित एजेंसी को निर्धारित दर पर वाहन परिचालन के विपत्र का भुगतान जी०पी०एस० प्रतिवेदन एवं संबंधित पदाधिकारी के सत्यापनोपरान्त होगा। जिसके लिये अलग से सक्षम पदाधिकारियों को नामित किया जायेगा।
13. जी०पी०एस० ट्रैकिंग हेतु मुख्यालय स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जायेगी। जिसके लिए नवीनतम सॉफ्टवेयर Live Tracking Jio Tag Photograph Website Dashboard & GPS तथा पर्याप्त हार्डवेयर की व्यवस्था संबंधित एजेंसी के द्वारा की जायेगी। गन्ना उद्योग विभाग मात्र स्थान उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगा।

14. वाहनों के परिचालन डिफॉल्टर होने की स्थिति में विपत्र में निम्न रुप से कटौती की जायेगी :–

i.	10 प्रतिशत तक	:– कोई कटौती नहीं।
ii.	11 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक	:– 5 प्रतिशत की कटौती।
iii.	21 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक	:– 10 प्रतिशत की कटौती।
iv.	30 प्रतिशत से अधिक तक	:– 15 प्रतिशत की कटौती तथा कार्यादेश रद्द करने की कार्रवाई।

15. प्रचार वाहन में प्रयुक्त उपकरण/संसाधन एवं ईंधन में मूल्य में परिवर्तन होने की स्थिति में निविदित दर अप्रभावित रहेगा।
16. किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान प्रतिष्ठान/एजेंसी को नहीं किया जाएगा।
17. ज्वाइंट वेंचर/कॉन्सोर्टियम मान्य नहीं होगा। परिचालन की पूरी जवाबदेही निविदादाता प्रतिष्ठान की होगी।
18. एक बार कार्यादेश प्राप्त हो जाने के उपरान्त एजेंसी को आवंटित कार्य को करने से इन्कार करने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। अन्यथा अग्रधन की राशि को जब्त करते हुए एजेंसी को काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।
19. प्रचार रथ के निर्बाध परिचालन की पूरी जवाबदेही निविदादाता प्रतिष्ठान की होगी एवं प्रचार कार्य बाधित होने की स्थिति में समुचित कार्रवाई के लिये उत्तरदायी होंगे।
20. बिना कारण बताए अथवा अग्रिम सूचना के निविदा को रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

31/07/24

विशेष कार्य पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।